Section 7 : Scope of supply

(1) For the purposes of this Act, the expression "supply" includes—

(a) all forms of supply of goods or services or both such as sale, transfer, barter, exchange, licence, rental, lease or disposal made or agreed to be made for a consideration by a person in the course or furtherance of business;

[1]**[(aa)** the activities or transactions, by a person, other than an individual, to its members or constituents or vice-versa, for cash, deferred payment or other valuable consideration**.**

Explanation–For the purposes of this clause, it is hereby clarified that, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force or any judgment, decree or order of any Court, tribunal or authority, the person and its members or constituents shall be deemed to be two separate persons and the supply of activities or transactions inter se shall be deemed to take place from one such person to another;**]**

(b) import of services for a consideration whether or not in the course or furtherance of business [2]**[**and**]**;

(c) the activities specified in Schedule I, made or agreed to be made without a consideration; [3]**[****]**

(d) [4]**[****]**

[5]**[(1A)** Where certain activities or transactions constitute a supply in accordance with the provisions of sub- section *(1),* they shall be treated either as supply of goods or supply of services as referred to in Schedule II.**]**

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1),—

(a) activities or transactions specified in Schedule III; or

(b) such activities or transactions undertaken by the Central Government, a State Government or any local authority in which they are engaged

---

1 Clause (aa) along with Explanation inserted by Finance Act, 2021 (No. 13 of 2021) w.e.f. 01-07-2017. [However, Noti. No. 39/2021–Central Tax, dt. 21-12-2021 appoints 01-01-2022 as the date on which the provisions of s. 108 of The Finance Act, 2021 (13 of 2021), shall come into force.]

2 Inserted by CGST (Amendment) Act, 2018 (No. 31 of 2018) w.e.f. 01-07-2017.

3 The word "and" omitted by CGST (Amendment) Act, 2018 (No. 31 of 2018) w.e.f. 01-07-2017.

4 Clause (d) omitted by CGST (Amendment) Act, 2018 (No. 31 of 2018) w.e.f. 01-07-2017. Earlier to omission it read as under:

"**(d)** the activities to be treated as supply of goods or supply of services as referred to in Schedule II."

5 Sub-section (1A) inserted by CGST (Amendment) Act, 2018 (No. 31 of 2018) w.e.f. 01-07-2017.

as public authorities, as may be notified by the Government on the recommendations of the Council,

shall be treated neither as a supply of goods nor a supply of services.

(3) Subject to the provisions of [6]**[**sub-sections (1), (1A) and (2)**]**, the Government may, on the recommendations of the Council, specify, by notification, the transactions that are to be treated as—

(a) a supply of goods and not as a supply of services; or

(b) a supply of services and not as a supply of goods.

---

6 Substituted for "sub-sections (1) and (2)" by CGST (Amendment) Act, 2018 (No. 31 of 2018) w.e.f. 01-07-2017.

धारा 7 : पूर्ति का विस्तार क्षेत्र

(1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, ''पूर्ति'' पद में निम्नलिखित सम्मिलित हैं,–

(क) किसी व्यक्ति द्वारा कारबार के अनुक्रम में या उसे अग्रसर करने में किसी प्रतिफल के लिए किया गया या किए जाने के लिए करार पाया गया विक्रय, अंतरण, वस्तु–विनिमय, विनिमय, अनुज्ञप्ति, भाटक, पट्टा या व्ययन जैसे माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के सभी रूप;

[1][**(कक)** किसी व्यक्ति, जो किसी व्यष्टि से भिन्न है, द्वारा उसके सदस्यों या घटकों या विपर्यन से नकद, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए क्रियाकलाप या संव्यवहार;

स्पष्टीकरण–इस खंड के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी न्यायालय, अभिकरण या प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, व्यक्ति और उसके सदस्यों या घटकों को दो पृथक व्यक्ति समझा जाएगा और क्रियाकलापों का प्रदाय या संव्यवहार, परस्पर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए समझे जाएंगे।]

(ख) किसी प्रतिफल के लिए सेवाओं का आयात, चाहे वह कारबार के अनुक्रम में या उसे अग्रसर करने के लिए हो या नहीं [2][और];

(ग) किसी प्रतिफल के बिना किए गए या किए जाने के लिए करार पाए गए अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप [3][.....];

(घ) [4][.....]

[5][**(1क)** जहां कतिपय कार्यकलाप या संव्यवहार उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार कोई पूर्ति हैं, उन्हें अनुसूची 2 में यथानिर्दिष्ट माल की पूर्ति या सेवा की पूर्ति माना जाएगा।]

---

1 वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का क्रमांक 13) द्वारा खंड (कक) अंतःस्थापित किया गया और दिनांक 01.07.2017 से अंतःस्थापित किया गया समझा जायेगा। (दिनांक 01.07.2017 से प्रभावशील) [यद्यपि अधिसूचना क्रमांक 39/2021–केन्द्रीय कर, दिनांक 21.12.2021 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2022 से प्रभावशील किया गया।]

2 सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.07.2017)

3 सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा शब्द ''और'' विलोपित (प्रभावशील दिनांक 01.07.2017)

4 सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा विलोपित (प्रभावशील दिनांक 01.07.2017)। विलोपन के पूर्व यह इस प्रकार था :

''**(घ)** अनुसूची 2 में यथा विनिर्दिष्ट माल या सेवाओं की पूर्ति के रूप में माने गए क्रियाकलाप।''

5 सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा उपधारा (1क) का अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.07.2017)

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,–

(क) अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों या संव्यवहारों को, या

(ख) केन्द्रीय सरकार, किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किए गए ऐसे क्रियाकलापों या संव्यवहारों को, जिनमें वे ऐसे लोक प्राधिकारियों, जिन्हें सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जाए, के रूप में लगे हुए हैं,

न तो माल और न ही सेवाओं की पूर्ति के रूप में माना जाएगा।

(3) [6][उपधारा (1), उपधारा (1क) और उपधारा (2)] के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सरकार परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा ऐसे संव्यवहारों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिन्हें,–

(क) माल की पूर्ति के रूप में, न कि सेवाओं की पूर्ति के रूप में माना जाएगा; या

(ख) सेवाओं की पूर्ति के रूप में, न कि माल की पूर्ति के रूप में, माना जाएगा।

---

6 सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा ''उपधारा (1) और उपधारा (2)'' के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.07.2017)